पंजीकृत ए.डी.डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.407/ भोपाल, दिनांक /07/2020,

प्रति,

डॉ0 अतुल जैन,
चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़
जिला मंदसौर।

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर (म.प्र.)

विषय:–कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित–विभागीय जांच ।

—00—

आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 14 (3) अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप–पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। आरोप–पत्र में अंकित आरोप जिस पर अभिकथन आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप–पत्र एवं अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है,वह भी संलग्न हैं।

2. आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हे ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहाते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–मंदसौर म.प्र. के माध्यम से प्राप्त नहीं होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जावेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–**1.आरोप–पत्र, 2.अभिकथन–पत्र, 3.अभिलेखो की सूची।**

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.........2

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.414/98 भोपाल, दिनांक 22/07/2020,

<u>प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

(1) प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय, भोपाल.म.प्र.।
(2) क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
(3) कलेक्टर,जिला मन्दसौर म.प्र.।
(4) उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीयं कार्यालय।
(5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय मन्दसौर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन **<u>प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।</u>**
(6) प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।
(7) आदेश नस्ति।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

आरोप–पत्र

डॉ0 अतुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़ जिला मंदसौर के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता हैं :–

आरोप क्रमांक –1

यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर ने पत्र क्रमांक/स्था. 2019/8918 दिनांक 12.12.2019 द्वारा अवगत् कराया है कि आप आपने कार्य स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़ जिला मंदसौर से दिनांक 21.07.2019 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन–पत्र

डॉ0 अतुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़ जिला मंदसौर। के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता हैं :–

आरोप कमांक, 1 के लिये :–

यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर ने पत्र कमांक/स्था. 2019/8918 दिनांक 12.12.2019 द्वारा अवगत् कराया है आप आपने कार्य स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़ जिला मंदसौर से दिनांक 21.07.2019 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें। किंतु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: अभिलेखों की सूची ::

डॉ0 अतुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़ जिला मंदसौर। के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :–

1– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर का पत्र कमांक/स्था.2019/8918 दिनांक 12.12.2019

2– ब्लॉक मेडिकल आफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर का पत्र कमांक/2019/1753, दिनांक 25/11/2019,

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

:: गवाहों की सूची ::

डॉ0 अतुल जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणगढ़ जिला मंदसौर। के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में गवाहों की सूची :–

1– स्थापना लिपिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर।

2– स्थापना लिपिक, ब्लॉक मेडिकल आफिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मल्हारगढ़ जिला मंदसौर।

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

<u>पंजीकृत ए.डी.डाक से</u>

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 4 / शिकायत / अना.अनु / फा.569 / 64 / — भोपाल, दिनांक 19 / 03 / 2020,

प्रति,

सुश्री शीला सोनकर,
जिला मलेरिया अधिकारी,
जिला रतलाम (म.प्र.)

<u>द्वारा :—मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन।(म.प्र.)</u>

विषयः—कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित--विभागीय जांच ।

--00--

आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम—1966 के नियम 14 (3) अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप—पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रस्तावित है। आरोप—पत्र में अंकित आरोप जिस पर अभिकथन आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप--पत्र एवं अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है,वह भी संलग्न हैं।

2. आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :—

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हे ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप—पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहाते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला--गुना म.प्र. के माध्यम से प्राप्त नहीं होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जावेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

***<u>संलग्नः</u>*—1.आरोप—पत्र, 2.अभिकथन—पत्र, 3.अभिलेखो की सूची।**

(signature) 13/03/2020

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

dc 8

.........2

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.569/ 65/ भोपाल, दिनांक 19/03/2020,

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

(1) प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।

(2) संचालक,मिशन एन.एच.एम. जेल रोड़ भोपाल म.प्र.।

(3) क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐ उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।

(4) कलेक्टर,जिला रतलाम म.प्र.।

(5) उप संचालक (वी.बी.डी.सी.पी.) स्थानीय कार्यालय।

(6) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रतलाम की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन **प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।**

(7) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय रतलाम म.प्र.।

(8) प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।

(9) आदेश नस्ति।

19/03/2020

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

<u>आरोप–पत्र</u>

सुश्री शीला सोनकर, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला रतलाम के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता हैं :–

<u>आरोप कमांक –1</u>

यह कि आपका स्थानांतरण संचालनालय के आदेश कमांक/01 जी/विज्ञ./सेल–05/1173, दिनांक 5.7.2019 द्वारा कार्यालय जिला रीवा से जिला रतलाम किया गया था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के पत्र कमांक/स्था./11139, दिनांक 26.07.2019, द्वारा आपको कार्यमुक्त किया गया। सी.एम.एच.ओ रतलाम ने उनके पत्र कमांक/स्था./2087, दिनांक 19.12.2019 द्वारा अवगत कराया है कि आपने अपनी उपस्थिति जिला चिकित्सालय रतलाम में नहीं दी तथा आप बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन–पत्र

सुश्री शीला सोनकर, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला रतलाम के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेव (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं:–

आरोप कमांक, 1 के लिये:–

यह कि आपका स्थानांतरण संचालनालय के आदेश कमांक/01 जी/विज्ञ./सेल–05/1173 दिनांक 5.7.2019 द्वारा कार्यालय जिला रीवा से जिला रतलाम किया गया था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा के पत्र कमांक/स्था./11139, दिनांक 26.07.2019, द्वारा आपको कार्यमुक्त किया गया। सी.एम.एच.ओ रतलाम ने उनके पत्र कमांक/स्था./2087, दिनांक 19.12.2019 द्वारा अवगत कराया है कि आपने अपनी उपस्थिति जिला चिकित्सालय रतलाम में नहीं दी तथा आप बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना जिला चिकित्सालय,रतलाम में आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें। किंतु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (i),(ii),(iii) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: अभिलेखों की सूची ::

सुश्री शीला सोनकर, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला रतलाम के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :-

1- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम का पत्र क्रमांक/स्था./11139, दिनांक 19.12.2019,

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

:: गवाहों की सूची ::

सुश्री शीला सोनकर, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला रतलाम के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत गवाहों की सूची :-

1- स्थापना लिपिक,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, जिला रतलाम म.प्र.।

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश